अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नम्बर नं. 2/248/2021 तारीख रजू..........

रामनिवास बनाम राजेश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्ष को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 845, 846, वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति वनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 01.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 01.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान्.......... .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अत पत्रावली दिनांक .... को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) प्रकरण राज्य सरकार के आदशानुसार आयोजित कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अत: पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय .... पर दिनांक 13/1/22 को पश हो।	
1/12/21		

14/3/23	पत्रावली आज मूल वाद के साथ भावी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। भावी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने प्रार्थना-पत्र अरउल्य को इसी स्टेज पर खारिज कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया तथा अतः भावी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार भावी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली मैं मल शुमार होकर नम्बर से काट दी वाद तफसील दाखिल दफ्तर के साथ सिलसिल रहेगा।	21/1/विवाद अधि में अपना वाद नहीं चलाना चाहता हूं

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर) राज.